राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

[कार्पोरेट पहचान कमॉक (CIN):U40109RJ2000SGC016485]
रजि.कार्या: विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005.
टेलि.:+91-141-2740844 ; फैक्स+91-141-2740455
ईमेल:as.gad@rvpn.co.in ; वेब साईट www.rvpn.co.in

कमॉक:राराविप्रनि/उप सचिव (जी.ए.डी.)/फा. /17–18/प्रे.275 दिनॉक 27/6/2017

परिपत्र

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमि. में विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निगम द्वारा मोबाईल सिम 'प्लान–525' एवं 'प्लान–145' जारी किये हुये है। मोबाईल सिम अधिकारी/कर्मचारी को तत्सम्बन्धित पद का कार्य संचालित करने के लिये उपलब्ध कराई जाती है, परन्तु यह देखने में आया है कि अधिकारी/कर्मचारी अपने स्थानान्तरण/पदोन्नति/सेवानिवृति होने पर मोबाईल सिम अपने पूर्व पद का कार्यग्रहण करने वाले सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी / नोडल अधिकारी को हस्तान्तिरत/जमा नही करवाते है, फलस्वरूप पूर्व पद की मोबाईल सेवा बाधित होती है । सेवानिवृति होने पर मोबाईल सिम अपने पास यथावत् रखने की अनुमति मॉगी जाती है।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमि., जयपुर ने उक्त प्रकरण को गंभीरता से लिया है एवं यह निर्देश दिये है कि पूर्व पद की मोबाईल सिम को स्थानान्तरण/पदोन्नति/सेवानिवृति होने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी/नोडल अधिकारी को जमा करवावें एवं मोबाईल सिम को अपने पास यथावत् रखने हेतु अनावश्यक पत्र व्यवहार न करें । इस विषयान्तगर्त पूर्व में जारी परिपत्र प्रे. 11 दिनॉक 06.04.2010 एवं परिपत्र प्रे.117 दिनॉक 15.05.2014 की अनुपालना भी सुनिश्चित करावें (छाया प्रति सलंग्न है)।

आदेशानुसार

27/6/17
(पुखराज सैन)
सचिव (प्रशासन)

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार.

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को प्रेषित कर लेख है कि वह अपने अधीन कार्यालयों में इसी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करवाये :–

1. जोनल मुख्य अभियंता (टी. एण्ड़ सी.) / मुख्य अभियंता / अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सिविल / एम.पी.टी. एण्ड एस. / कम्यूनिकेशन / एल.डी. / प्रोक्योरमेंन्ट / कॉन्ट्रेक्ट / एन.पी.पी. एण्ड आर. / पी.पी. एण्ड डी./आई.टी.), रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., जयपुर /अजमेर /जोधपुर.
2. मुख्य लेखा नियन्त्रक, रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि. विद्युत भवन, जयपुर.
3. जे.एल.आर., रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर.
4. कम्पनी सचिव, रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर.
5. नियन्त्रक आन्तरिक अंकक्षेक, रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर.

कमश....2

6. सयुंक्त निदेशक (कार्मिक), रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर.

7. सयुंक्त सचिव (पेन्शन), रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर.

8. तकनीकी सहायक – अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर.

9. तकनीकी सहायक–निदेशक (तकनीकी/ऑपरेशन), रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., जयपुर.

10. मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी ( ),रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., जयपुर.

11. अधीक्षण अभियन्ता ( ) – नोडल अधिकारी, रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., जयपुर.

12. सहायक सचिव (संस्था.–I/II/III), रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर.

13. लेखाधिकारी (प्रशा. एवं भण्डार), रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर.

14. निजी सहायक –निदेशक (वित्त), रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर.

15. निजी सहायक–सचिव (प्रशासन), रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर.

16. वेब एडमिन, कार्या. अधीक्षण अभियंता (MIS), रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रसारण निगम की वेब–साईट पर अपलोड करें.

(आर.पी. गुप्ता)
उप सचिव (जी.ए.डी.)
रा.रा.वि.प्रसा.नि.लिमि., जयपुर.

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम

क्रमांक/राराविप्रनि/जी0ए0डी0/प्रे0 ।। जयपुर,दिनांक 6/5/10

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निगम द्वारा मोबाइल सिम प्लान 525 में 338 एवं प्लान 145 में 1790 जारी की हुई है। प्लान 525 के नोडल अधिकारी सचिव (प्रशासन) एंव प्लान 145 के अन्तर्गत सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी (मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता) है।

विभिन्न अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण/पदोन्नति/ सेवानिवृत होने पर मोबाइल की सिम कार्यभार संभालने वाले अधिकारी को या नोडल अधिकारी को जमा नहीं कराई जाती है तथा नव पदस्थापन स्थान पर उस सिम को अपने साथ ही ले जाते है तथा काफी समय बाद इसको रखने की स्वीकृति मांगी जाती है,जिससे मोबाइल के अकाउन्ट रखने तथा निर्धारित सीमा से अधिक राशि की कटौती उनके वेतन से किये जाने मे परेशानी आ रही है तथा कई अधिकारियों के गलत राशि की कटौती भी हो जाने की संभावना भी रहती है।

अतः समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिये जाते है कि पदोन्नति/स्थानान्तरण/सेवानिवृत होने पर सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने मोबाइल सिम को कार्यभार लेने वाले अधिकारी या नोडल अधिकारी को जमा करायेगें। सम्बन्धित लेखाधिकारियों को भी निर्देश दिया जाता है कि जिन अधिकारियों के स्थानान्तरण/सेवानिवृत हो रहे है,उनके चार्ज रिपोर्ट में सिम जमा नहीं करवाई हो उनको अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जावे।

(वीरेन्द्र सिंह बांकावत)
सचिव(प्रशासन)

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मोबाइल सिम स्वीकृत है,उनको उक्त परिपत्र को नोट करवालिया जावे :-

1: मुख्य अभियन्ता ( ) राराविप्रनि ---------।
2: मुख्य लेखा नियंत्रक, राराविप्रनि जयपुर।
3: मुख्य लेखाधिकारी/वरि0लेखाधिकारी/लेखाधिकारी ( ) राराविप्रनि --------।
4: समस्त नोडल अधिकारी ( ) राराविप्रनि -

सहायक सचिव (जी0ए0डी0)

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
रजि.कार्या. – विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर–302005.
(टेलि.नं. 0141-2740844 / फैक्स न. 0141-2740455)
ईमेल आईडी.– ds_gad@rvpn.co.in / वेब साईट www.rvpn.co.in

क्रमांकःराराविप्रनि / उपसचिव (जी.ए.डी.) / फा. / 14–15 / प्रे. 117 दिनॉक 15/5/14

परिपत्र

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम में विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निगम द्वारा मोबाईल सिम 'प्लान–525' एवं 'प्लान–145' जारी किये हुये है। निगम द्वारा जारी मोबाईल सिम अधिकारी / कर्मचारी के तत्सम्बन्धित पद का कार्य संचालित करने के लिये उपलब्ध कराई जाती है, परन्तु यह देखने में आया है कि अधिकारी / कर्मचारी अपने स्थानान्तरण / पदोन्नति / सेवानिवृति होने पर मोबाईल सिम अपने पूर्व पद का कार्यग्रहण करने वाले सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी को / और नोडल अधिकारी को हस्तान्तिरत / जमा नही कराते है, फलस्वरूप पूर्व पद की मोबाईल सेवा बाधित हो जाती है । अतः समस्त अधिकारीयों / कर्मचारीयों को निर्देश दिये जाते है कि पूर्व पद की मोबाईल सिम को सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी को / और नोडल अधिकारी को हस्तान्तिरत / जमा करवावें ताकि पूर्व पद की मोबाईल सेवा व्यस्थित बनी रहे । इस विषयान्तर्गत पूर्व में जारी परिपत्र प्रे. 11 दिनॉक 06.04.2010 की अनुपालना भी सुनिश्चित करावें (छाया प्रति सलग्न है) ।

15/5/14
(राजेश सिंह)
सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि जिन अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों को उक्त प्लानों की मोबाईल सिम स्वीकृत है, उनको यह परिपत्र नोट करवा करके अनुपालना सुनिश्चित करवाई जावे, ताकि मोबाईल सिम की व्यवस्था सुचारू रूप से बिना किसी व्यवधान के बनायी रखी जा सके ।

1. मुख्य अभियंता / अतिरिक्त मुख्य अभियंता / उप मुख्य अभियंता (पी.पी.एम. / एल.डी. / एम.पी.एण्ड.एस. / एन.पी.पी.एण्ड.आर. / प्रशिक्षण),, रा.रा.वि. प्रसारण निगम लि., जयपुर ।
2. जोनल मुख्य अभियंता (टी. एण्ड सी), रा.रा.वि.प्रसारण निगम लि0,जयपुर / अजमेर / जोधपुर ।
3. जोनल मुख्य अभियंता (सिविल), रा.रा.वि.प्रसारण निगम लि0, जयपुर / जोधपुर ।
4. मुख्य लेखा नियन्त्रक, रा.रा.वि.प्रसारण निगम लि0, जयपुर ।
5. मुख्य लेखाधिकारी / वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी ( ), रा.रा.वि.प्रसारण निगम लि0, ...
6. अधीक्षण अभियन्ता ( ) – नोडल अधिकारी, रा.रा.वि.प्रसारण निगम लि0, ...
7. अधिशाषी अभियन्ता, (एम. आई. एस.), रा.रा.वि.प्रसा.निगम लिमि, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया इस परिपत्र को आर.वी.पी.एन. की वेबसाईट पर प्रसारित करवाये ।

15/5/14
(आर.पी. गुप्ता)
उप सचिव (जी.ए.डी.)